

03<sup>06</sup>/<sub>19</sub>

बन्नुलाम करीकेंन उप०। बन्नुलाम उममफा  
इमस सम्पगन पर क्वहस सुनी गई। वास्ते  
आदेशार्थ मिसल मारिन्द दिनांक 07/06/19  
को पेश हे।

07<sup>06</sup>/<sub>19</sub>

फत्रावली पेश हुई। बन्नुलाम करीकेंन उप०।  
दोनों क्वहस वकील जार्थ ने दलील दी कि  
पूर्व में भी AVVNL के बिकड़ जार्थना पर  
proposal हुआ है। अप्रार्थीगण AVVNL के  
हैं। आवेदन की पेशी करने के अधिकारी  
नहीं हैं। आवेदन स्वयं 0.1 R.10 CPC में उठा  
चाहिए। वकील अप्रार्थीगण निगम का फर (वे),  
वकील अप्रार्थीगण ने दलील दी कि नौक्रे पर  
आज कोई फसल नहीं है, कोई नये पोल  
नही गाडे जाने है, केवल केवल से कर्मकर्म  
कराना बाकी है। यह घरेलू कर्मकर्म है,  
कृषि नहीं है। निगम निमी हित में  
कार्य नहीं करती है। आवेदन को वाप  
जांच तन्वीकी तन्वीता बनाकर, इति/तुलना  
का ध्यान रखते हुए अन्विपता द्वारा कार्य  
किया जाता है। आवेदन का पूरा मकान  
बना हुआ है जिसका भी जार्थी द्वारा  
कोई विरोध नहीं है। निगम आवेदन के  
अधिकारों को रखने का अधिकारी है।  
आपने निगम को ही फरकार बनाया है।  
निगम अप्रार्थीगत लड.ई नहीं लड.ती है वह  
हमारा आवेदन है।



नम जो ...  
की तारीख  
जारी हुए

क्र. नं.	हुकम या कार्यवाही मय तपुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं वज्रलाभ फॉर्मेट द्वारा ग्री ग्री दलीलों एवं साक्ष्यों पर मतन किया गया, क्योंकि मौका स्थल पर कोई फसल का नुकसान नहीं हो रहा है कोई पौल नहीं गाडा जाना है केवल केवल से कर्मकशत किया जाता है जो कि घरेलू कर्मकशत है। विद्युत कर्मकशत आवेदन की मूलभूत आवश्यकता की श्रेणी में आता है तथा इससे जर्नी को किसी प्रकार की सति होना सम्बन्धित नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण में अस्वार्थ निवेद्याला को इसी स्तर पर जारी किया जाता है। पत्रावली फसल शुभार होकर बम्बर से काम हो तथा बाद तन्मील दाखिल दफ्तर हो निर्णय जूले न्यायालय में सुनया गया</p>	

07/06/2019  
(महीपाल सिंह) RAS  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला